would provide accommodation from their own pool.

राज्यों द्वारा पुनः चुंगी लगाया जाना

3626. **श्री राघवजी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन राज्यों में चुंगी लागू है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को जहां तक संभव हो, चुंगी न लगाने की सलाह दी है;

(ग) यदि हां, तो सम्बद्ध राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या देश में कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पहले चुंगी हटा दी गयी थी परन्तु अब पुनः लगा दी गई है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और पुनः चुंगी हटाए जाने के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलु): (क) उन राज्यों के नाम नीचे दिये गये है जहां चुंगी प्रचलित है:—

1. गोवा
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. महाराष्ट्र
5. मणिपुर (केवल इम्फाल नगर पालिका में)
6. उड़ीसा
7. पंजाब।

(ख) और (ग) किसी स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग अथवा बिक्री हेतु माल के प्रवेश पर कर लगाने का उल्लेख संविधान की राज्य सूची की 52वीं प्रविष्टि पर आता है। इसे देखते हुए इसलिए चुंगी को समाप्त करने के प्रसंग की जांच करना राज्य सरकार का काम है क्योंकि यह उनके अधिकारी क्षेत्र में आता है तथापि, चुंगी के प्रश्न पर 1985 में इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में चुंगी को आंशिक समाप्त करने की सिफारिश की। रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को उनके नियंत्रण और संघ प्रशासन द्वारा परिचालित की गयी थी।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इम्फाल नगर पालिका (मणीपुर) की नगर पालिका सीमा में चुंगी पुनः लागू की गयी है। राज्य सरकार ने बताया है कि नगर पालिका को जो अनुदान सहायता दी जा रही थी वह स्टाफ को अनुरक्षण लागत को पूरा करने के लिए निरन्तर अपर्याप्त होती जा रही थी। अतः चुंगी पुनः लगाई गई है।

Recovery of dues by Directorate of Estate from Retired Central Government Employees

3627. SHRI RAJNATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Directorate of Estates has issued notices for payment of dues to all the Central Government employees who had retired eight years ago;

(b) whether it is also a fact that the Directorate of Estates does not bother about the dues against the retired employees at the time of their retirement and they are harassed after a long period; and

(c) whether Government would take action to relieve these employees from this harassment and also ensure that they are not harassed because they are not in a position to pay after lapse of long period since their retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The Directorate of Estates has issued notices to all retired Government servants against whom Government dues are outstanding on account of overstay in Government accommodation after their retirement from the Government service.

(b) No, Sir.

(c) Action for the recovery of Government dues for unauthorised occupation of